

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री नवनीत कुमार पाठक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढलिया, बांदीकुई जिला दौसा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंवल खेडा जिला चित्तौडगढ किया गया था जिसके विरुद्ध श्री नवनीत कुमार पाठक द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3162/2019 नवनीत कुमार पाठक बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3162/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पिता के लकवाग्रस्त होने और निदेशक स्वयं द्वारा पूर्व में उनके अभ्यावेदन का निराकरण उसके पक्ष में किये जाने के बावजूद उसकी कठिनाईयों को अब नजरअंदाज कर देने को दृष्टिगत रखते प्रत्यर्थी विभाग को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी रिक्त पद दर्शाते हुए 15 दिवस में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे तो विभाग उसके अभ्यावेदन पर न्याय संगत व उचित आदेश प्रदान करे।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के पिता के लकवाग्रस्त होने एवं अपीलार्थी के उनके इकलौता पुत्र होने को मद्देनजर रखते हुए अपना समायोजन दौसा जिले में राउमावि विशाला, महवा, दौसा अथवा अलवर जिले में राउमावि राजपुर छोटा, रैणी जिला अलवर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने के कारण उन्हें अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्री नवनीत कुमार पाठक, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/नवनीत पाठक/3162/2019 दिनांक 27.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रभुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा/चित्तौडगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, दौसा/चित्तौडगढ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री नवनीत कुमार पाठक, सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)